न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड , आर.ए.एस.

प्रार्थीगण :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. कमलादेवी पत्नी नाथूराम जाट 2. सुमन पुत्री चुन्नीलाल जाट निवासी ढाढोता तह. परबतसर		1. कमलादेवी पत्नी चुन्नीलाल जाट 2. प्रेमदेवी पत्नी मदनराम जाट 3. नन्दूदेवी पत्नी शंकरलाल जाट निवासी ढाढोता तह. परबतसर 4. तहसीलदार, परबतसर

प्रार्थना पत्र :– अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री पंकज पुरोहित अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री गजराज चौहान अधिवक्ता अप्रार्थी 1 से 3

मुकदमां नम्बर :–04/2018

निर्णय दिनांक :– 17/2/2020

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री पंकज पुरोहित ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया हैं कि ग्राम ढाढोता के खसरा नम्बर 42/1 रकबा 0.97 हैक्टयर भूमि स्थित हैं। उक्त भूमि पैतृक भूमि हैं जो रामनाथ पुत्र भूराराम के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही हैं थी जिसके आधार पर रामनाथ द्वारा उक्त कृषि भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 12.01.2010 को कमला देवी पत्नी नाथूराम व कमलादेवी पत्नी चुन्नीलाल के पक्ष में निष्पादित कर दिया गया है। शेष 1/2 हिस्से पर प्रार्थी संख्या 2 का भी उक्त भूमि में हक हिस्सा था प्रार्थी 2 के पिता चुन्नीलाल का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम ढाढोता छोड़ दिया तथा भवानीगांव में निवास करने लगी तथा प्रार्थी 1 ने अपनी पुत्री प्रार्थी 2 को उसकी दादी के पास छोड़ दिया इस प्रकार इस कृषि भूमि में अप्रार्थी 1 का हिस्सा नहीं रहा लेकिन उसके उपरान्त भी अप्रार्थी 1 ने उक्त भूमि का बैचान अप्रार्थी 2 व 3 को बिना किसी हक अधिकार के बेचान कर दिया जिसका उसे कोई अधिकार नहीं था। प्रार्थी 1 इस भूमि में खातेदार हैं तथा प्रार्थी 2 को इस भूमि में उसके जन्म से ही अधिकार हैं इस भूमि में अप्रार्थी 1 को प्रार्थी 2 का हक हिस्सा सुरक्षित किये बगैर बेचान करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। प्रार्थी 1 नाबालिग हैं तथा अपनी दादी के पास निवास करती हैं प्रार्थी 2 की सम्पूर्ण शिक्षा दीक्षा व भरण पोषण उसकी दादी अप्रार्थी 1 करती आयी हैं। अप्रार्थी 2 व 3 उक्त बैचान के आधार पर प्रार्थी 2 को बेदखल करने पर आमादा हैं। जिससे प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किऐ जाने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 से 3 ने दिनांक 07.02.2018 को जवाब पेश कर निवेदन किया हैं कि उक्त भूमि पैतृक भूमि नहीं हैं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जमीन दिनांक 12.01.2010 को

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

Scanned by CamScanner

रामनाथ पुत्र भूराराम से खरीद की थी उक्त भूमि प्रार्थी संख्या 1 की स्वंय अर्जित भूमि हैं। उक्त भूमि में प्रार्थी 1 का 1/2 हिस्सा हैं जो मौके पर अलग बंटी हुई हैं मौके पर माठ लगी हुई हैं प्रार्थी 1 ने दिनांक 12.01.2010 को जरिये रजिस्ट्रर्ड बैचान अप्रार्थी 1 के साथ रामनाथ पुत्र भूराराम से जमीन खरीद की थी। अप्रार्थी 1 ग्राम ढाढोता में ही निवास करती हैं अप्रार्थी 1 बिमार रहती हैं जिसकी सेवा उसकी पूर्व में उसकी बेटी मंजू करती थी लेकिन बेटी मंजू गर्भवती होने से अप्रार्थी 1 अपने पीहर भवानीगांव ईलाज करवा रही हैं जबकि ग्राम ढाढोता में ही रहवास कर अपना जीवन निर्वाह करती हैं। अप्रार्थी ने अपनी स्वंय अर्जित भूमि का बैचान किया हैं जिसका अप्रार्थी 1 को पूर्ण अधिकार हैं, अप्रार्थी 1 ने अप्रार्थी 2 व 3 को अपनी स्वंय अर्जित भूमि के आधार पर बेचान किया हैं केवल अप्रार्थी 1 से 3 को परेशान करने की नियत से झूठा प्रार्थना पत्र एवं वाद पेश किया है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन नही बनता हैं खरीद के बाद से ही उक्त भूमि पर अप्रार्थी 2 व 3 का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं जिससे प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नहीं हैं प्रार्थना पत्र खारिज फरमवाया जावे।

3. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी सम्वत 2070–73 पेश की हैं बैचान दस्तावेज दिनांक 12.01.2020, बैचान दस्तावेज दिनांक 05.12.2017 की प्रति पेश की हैं। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थी संख्या 2 बालिग होने से दिनांक 30.07.2019 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी 2 स्वंय को वाद में पक्षकार बनाया है। प्रार्थीगण को अपना प्रार्थना पत्र साबित करने के लिए तीन बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुल एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु साबित करने आवश्यक है। इस सम्बन्ध में उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया।

(अ) प्रथम दृष्टया मामला :–

इस सम्बन्ध में प्रार्थी के अधिवक्ता ने दौराने बहस जाहिर किया हैं कि प्रार्थी संख्या 2 के पिता चुन्नीलाल का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात अप्रार्थी 1 ने ढाढोता ग्राम को छोड़ दिया तथा भवानीगांव में निवास करने लग गई तथा अपनी पुत्री प्रार्थी 2 को अपनी दादी के पास छोड़ दिया इस प्रकार इस पैतृक भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 को हिस्सा नहीं रहा हैं उक्त पैतृक कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी में हैं में अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थी संख्या 2 का हक हिस्सा सुरक्षित किये बगैर बैचान करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। जिसके जबाब में अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस जबाब दिया हैं कि उक्त विवादित आराजीयत पैतृक कृषि भूमि नहीं होकर दिनांक 12.01.2010 को रामनाथ पुत्र भूराराम से प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2 की खरीद सुदा भूमि हैं अप्रार्थी 1 ने अपना खरीद सुदा हिस्सा अप्रार्थी 2 व 3 को बैचान किया हैं जिसका अप्रार्थी 1 को कानूनी अधिकार प्राप्त हैं।

17/2/2020
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

Scanned by CamScanner

उपरोक्त विवेचन के अनुसार बैचान दस्तावेज दिनांक 12.01.2010 का अवलोकन किया गया जिसमें खातेदार रामनाथ पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी ढाढोता द्वारा खसरा नम्बर 10 रकबा 9–14 बीघा भूमि में से 6–00 बीघा भूमि कमलादेवी पत्नी चुन्नीलाल जाति जाट एवं कमलादेवी पत्नी नाथूराम जाति जाट निवासी ढाढोता को बहिस्सा बराबर बैचान किया गया हैं। जमाबन्दी सम्वत 2058–61 के अनुसार जरिये नामान्तकरण संख्या 941 दिनांक 05.03.2010 को रामनाथ पुत्र भूराराम के स्थान पर 6–00 बीघा भूमि की खातेदारी कमलादेवी पत्नी नाथूराम व कमलादेवी पत्नी चुन्नीलाल कौम जाट सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड की गई हैं शेष 3–14 बीघा भूमि रामनाथ के नाम दर्ज रही है। तत्पश्चात नवीन सेटलमेन्ट में प्रार्थी 1 व अप्रार्थी 1 की खरीद सुदा भूमि के नवीन खसरा नम्बर 42/1 रकबा 0.97 हैक्टयर कायम हुए है, जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के अनुसार खसरा नम्बर 42/1 की खातेदारी कमलादेवी पत्नी नाथूराम , कमलादेवी पत्नी चुन्नीलाल जाति जाट सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। बैचान दस्तावेज दिनांक 05.12.2017 के अनुसार खातेदार कमलादेवी पत्नी चुन्नीलाल अप्रार्थी संख्या 1 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा अप्रार्थी 2 व 3 को जरिये रजिस्ट्रर्ड बैचान किया गया है। जिससे विवादित आराजीयत पैतृक नही होकर अप्रार्थी संख्या 1 की स्वंय अर्जित भूमि होना प्रतीत होता हैं। अप्रार्थी ने अपनी खरीद सुदा भूमि का बैचान किया हैं जिसका उसके कानूनी अधिकार है। विवादित आराजीयत पैतृक भूमि होना साबित नहीं होता है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण को पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

(ब) सुविधा का सन्तुलन :–

इस सम्बन्ध में प्रार्थी के अधिवक्ता ने जाहिर किया हैं कि अप्रार्थी 1 अपने पति के स्वर्गवास के बाद ग्राम भवानीगांव चली गई हैं तथा ग्राम ढाढोता में निवास नहीं करती हैं प्रार्थी संख्या 2 उसकी पुत्री हैं जो अपनी दादी के पास निवास करती हैं तथा दोनों दादी पौती उक्त आराजीयत पर काश्त करती है। जबाब में अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बताया हैं कि अप्रार्थी ग्राम ढाढोता में ही निवास करती हैं तथा बिमार रहती हैं जिसकी सेवा उसकी बेटी मंजू करती थी लेकिन बेटी मंजू गर्भवती होने से अप्रार्थी संख्या 1 अपने पीहर ग्राम भवानीगांव ईलाज करवा रही हैं अप्रार्थी 1 ग्राम ढाढोता में ही रहवास कर अपना जीवन निर्वाह करती हैं, केवल मात्र पीहर चली जाने मात्र से अप्रार्थी की स्वंय अर्जित आराजीयत में प्रार्थीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। दस्तावेजो के अनुसार भी उक्त विवादित आराजीयत प्रार्थी 1 व अप्रार्थी 1 की खरीद सुदा भूमि होना प्रतीत होता हैं। अप्रार्थी संख्या 1 ने जबाब में स्पष्ट रूप से अंकित किया हैं कि अप्रार्थी 2 व 3 को अपनी स्वंय अर्जित भूमि होना बता कर अप्रार्थी 2 व 3 से प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि प्राप्त कर बैचान कर कब्जा सुपुर्द किया है। जिससे अप्रार्थी 1 द्वारा बैचान की गई विवादित भूमि का 1/2 हिस्सा प्रार्थी संख्या 1 का हैं जो यथावत हैं

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

Scanned by CamScanner

जिसमें प्रार्थीगण को किसी प्रकार की असुविधा होना प्रतीत नहीं होता हैं जिससे सुविधा का सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के हक में सिद्ध नहीं होता है।

(स) अपूर्णीय क्षति :–

इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने जाहिर किया हैं कि उक्त विवादित आराजीयत प्रार्थीगण की पैतृक भूमि हैं तथा प्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी 1 की पुत्री हैं जो नाबालिग हैं प्रार्थी संख्या 2 का हिस्सा सुरक्षित रखे बिना बैचान करने पर प्रार्थी संख्या 2 को अपारक्षति होगी। जिसके सम्बन्ध में अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने जाहिर किया हैं कि उक्त विवादित आराजीयत पैतृक नहीं होकर उसकी खरीद सुदा भूमि हैं तथा स्वंय अर्जित भूमि का उपयोग उपभोग करने बैचान रहन रखने आदि को कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। अप्रार्थी 1 की भूमि के किसी भी प्रकार के उपयोग उपभोग या बैचान रहन रखने से प्रार्थीगण को किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। प्रस्तुत दस्तावेज से भी खसरा नम्बर 42/1 रकबा 0.97 हैक्टयर में 1/2 हिस्सा अप्रार्थी 1 का स्वंय अर्जित हैं जिसका उपयोग उपभोग करने का उसके कानूनी अधिकार हैं। जिसेस अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के हक में सिद्ध नहीं होता है।

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों बिन्दु सिद्ध करने में असफल रहे है। जिससे प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सिद्ध नहीं होने से दिनांक 04.01.2018 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश अपास्त किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। यह आदेश आज दिनांक 17/2/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/2/2020

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर